न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 293/2024

अनवान : –

1. योगेन्द्र कुमार पुत्र मनोज कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनोज कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. पुनम पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. निशा पुत्री मनोज कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/163 की कुल 12.9030 हैक्ट भूमि में से 9298/12903 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3605/12903 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व माता पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:21:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख 163/163 के प0न0 388/445 मु0न0 108 के किला न0 2/1 की 0.0250 हैक्ट गैर मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2280 हैक्ट, किला न0 4/1 की 0.0250 हैक्ट, 4/2 की 0.2280 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार रहेगा एवं प्रतिवादी वादी संख्या 1 अकेला 8539/12903 हिस्सा का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादीया संख्या 2 का हिस्सा यथावत रहेगा प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा 16 डीपीएन खाता संख्या 163/163, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के माता व पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/163 की कुल 12.9030 हैक्ट भूमि में से 9298/12903 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3605/12903 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि [illegible] की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। [illegible] खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वा[illegible] किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 3ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:21:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/163 के प0न0 388/445 मु0न0 108 के किला न0 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 2/2 की 0.2280 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0250 हैक्ट, 3/2 की 0.2280 हैक्ट, 4/1 की 0.0250 हैक्ट, किला न0 4/2 की 0.2280 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में 8539/12903 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज वाद भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:21:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 293/2024
अनवान : –

1. योगेन्द्र कुमार पुत्र मनोज कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनोज कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. पुनम पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. निशा पुत्री मनोज कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 293 सन 2024 निर्णय दिनांक – 20/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/163 के प0न0 388/445 मु0न0 108 के किला न0 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 2/2 की 0.2280 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0250 हैक्ट, 3/2 की 0.2280 हैक्ट, 4/1 की 0.0250 हैक्ट, किला न0 4/2 की 0.2280 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में 8539/12903 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज वाद भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:21:16 IST
Reason: SelfAttested